कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

//ज्ञापन//

सिंगरौली दिनांक 17.09.2025

क्रमांक 350 /2025

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड,
भोपाल मध्यप्रदेश।

विषयः— जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विक्रय हेतु नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विक्रय जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विक्रय किया जाना है।

अतः नीलामी विज्ञप्ति स्थानीय स्तर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर आदि में प्रकाशित की जाने हेतु आपकी ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा अतिशीघ्र प्रकाशित करवाकर कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

Sd

कृते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुख्यालय वैढ़न जिला सिंगरौली म0प्र0।

पृष्ठा.क्रमांक 2245/2025

सिंगरौली दिनांक 17.09.2025

प्रतिलिपिः—

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विक्रय हेतु नीलामी विज्ञप्ति एवं नीलामी शर्तें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. अध्यक्ष/सदस्य क्रय समिति, जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से दिनांक 27.10.2025 को शाम 05:00 बजे नीलामी समिति के द्वारा किया जाकर प्रतिवदेन प्रेषित करने का कष्ट करें।

3. कलेक्टर जिला सिंगरौली की ओर जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विकय हेतु नीलामी विज्ञप्ति आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने का कष्ट करें।

4. आयुक्त नगर निगम, जिला सिंगरौली की ओर जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विकय हेतु नीलामी विज्ञप्ति आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने का कष्ट करें।

5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, सिंगरौली की ओर जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विकय हेतु नीलामी विज्ञप्ति एवं नीलामी शर्ते, की छायाप्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर एवं जिला न्यायालय सिंगरौली की वेबसाईट पर अपलोड करवायें जाने हेतु आवश्यक कार्यावाही करें।

कृते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुख्यालय वैढ़न जिला सिंगरौली म0प्र0।

कार्यालय प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न (म.प्र.)

//नीलामी विज्ञप्ति//

क्रमांक 350 / 2025 सिंगरौली दिनांक 17.09.2025

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विक्रय हेतु नीलामी दिनांक 27.10.2025 को शाम 05:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से किया जाना है।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली के नाम से देय राशि रूपये 5,000/— का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप मे जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी के संबंध मे सामग्री का अवलोकन व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग, जिला न्यायालय सिंगरौली से प्राप्त की जा सकती है एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिकारीक वेबसाईट http://mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय सिंगरौली की अधिकृत वेबसाईट http://singrauli.dcourts.gov.in पर नीलामी शर्ते डॉउनलोड की जा सकती है।

17/09/25

प्रभारी अधिकारी
मालखाना अनुभाग
जिला न्यायालय सिंगरौली
मुख्यालय वैढ़न म0प्र0।

कार्यालय प्रभारी अधिकारी मालखाना अनुभाग सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न (म.प्र.)

//नीलामी शर्तें//

1. जिला न्यायालय सिंगरौली के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा संपत्तियों के विक्रय हेतु नीलामी दिनांक 27.10.2025 को शाम 05:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से की जावेगी।

2. उपरोक्त सामग्री/स्क्रेप की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में 5,000/– का बैंक ड्राफ्ट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली के नाम से देय हो, समक्ष अधिकारी के सक्षम प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पापत्रता होगी।

4. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था के वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली/स्वीकृत की गई राशि का पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

5. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा मुद्देमाल नीलामी समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, सिंगरौली को प्राप्त होगा।

5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् नीलामी सामग्री को केता को प्रदान किया जावेगा।

7. नीलामी की गई सामग्री/स्क्रेप को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 07 (सात) दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली के नाम से जमाकर, सामग्री को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

8. संबंधित सामग्री/स्क्रेप जिला न्यायालय परिसर, सिंगरौली में उपलब्ध है इस हेतु

मालखाना नाजिर सिंगरौली से संपर्क करें।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी मे उपस्थित होकर जप्तशुदा सामग्री/स्क्रेप को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी संम्पूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

10. जप्तशुदा सामग्री/स्क्रेप के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर क्रेता को उक्त वाहनों को स्वयं पर यथास्थिति में जिला न्यायालय सिंगरौली से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी अधिकारी
मालखाना अनुभाग
सिंगरौली, मुख्यालय बैढन (म.प्र.)